न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 279/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा –प्रार्थी	**बनाम**	1. रामनाथ पिता कालू बैरवा निवासी सारण का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक २९-10.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) को विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम सारण का खेडा पटवार हल्का मंहुआ की आ.न. 353/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि को संवत् 2046 में कमाण्ड क्षैत्र में आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम सारण का खेडा पटवार हल्का महुंआ की आ.न. 353/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि को संवत् 2046 में कमाण्ड क्षैत्र में आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम सारण का खेडा के आ.न. 353/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि पर मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव--

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर रामनाथ पिता कालू बैरवा सा. देह के नाम आवंटित ग्राम सारण का खेडा के आराजी नं. 353/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम सारण का खेडा की आ.न. 353/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढको संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक २९.0 .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा